सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018
ब्यावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 80/2013

राजस्व लोक अदालत अभियानःन्याय आपके द्वार 2018 कैम्प जालिया प्रथम

1– मौहम्मद सदीक खां पुत्र श्री जमाल खां जाति मुसलमान पठान
2– श्रीमति जन्नत पत्नि गफ्फार खां
3– फरीदा पुत्री श्री गफ्फार खां
4– मेरूना पुत्री श्री गफ्फार खो
जाति मुसलमान पठान निवासीयान जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

-----वादीगण

ब ना म

1– श्री फिरोज खां पुत्र श्री सत्तार खां
2– श्री अफरोज खां पुत्र सत्तार खां
जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर
3– श्रीमति हसीना पत्नि श्री आलम खां पुत्री श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी बलाड तहसील ब्यावर
4– श्रीमति जरीना पत्नि श्री ईस्माईल खां पुत्री श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी ग्राम सालाकोट तहसील ब्यावर
5– श्रीमति बिसमिल्लाह पत्नि श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावरं
6– मा0 साजिद खां पुत्र श्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
7– मा0 सद्दाम खां पुत्रश्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
8– मा0 भााहिद खां पुत्र श्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
9– श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम हाल निवासी गहलोत सिपाहियो का बडा वास जैतारण जिला–पाली----मृतक----
10– श्री छोटू खां पुत्र श्री जमाल खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
11– श्रीमान् तहसीलदार साहब जरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला–अजमेर
12– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, तहसील परिसर, ब्यावर

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 03.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 12–12–2016 को विभाजन की डिक्री पारित कर वादी का वास्ते विभाजन लाया गया वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया गया और प्रकरण में इस आशय की डिक्री पारित की गई कि– "मौजा जालिया प्रथम पटवार हल्का जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित हाल खसरा नंबर 425 रकबा 01–16–00 किस्म ता–1+, 1017 रकबा 02–13–10 किस्म चा.1तालाबी, 1020 रकबा 01–06–10 किस्म चा. 1तालाबी, 1074 रकबा 05–05–00 किस्म ता.1+,1082 रकबा 03–14–10 किस्म तालाबी–1, 1083 रकबा 02–05–00 किस्म तालाबी–1, 1086 रकबा 01–17–00 किस्म बारानी–2, 1087 रकबा 03–06–10 किस्म बारानी–2 में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से, वादीगण संख्या 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/4 हिस्से का खातेदार का तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 ने जो विवादित भूमि में अवेध रूप से बिना निर्माण स्वीकृति लिये निर्माण कार्य कर लिया है, उसे अपने

..................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

खर्चे से हटाने के आदेश दिये जाते है, तथा प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते है, उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य उक्त भूमियो में पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में तरमीम की जावे तथा उक्त हिस्सोनुसार कब्जा कायम किया जावे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 द्वारा अवेध निर्माण को नही हटाते है तो जरिये पुलिस इमदाद से हटवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के हिस्से से उन्हें बेदखल नही करे तथा वादीगण के उक्त हिस्से पर चले आ रहे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नही करे। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे। "

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2017/2653 दिनांक 02.05.2018 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये । उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर स्वयं वादी की बहस सुनी मजमें आम में सुनी गई। जिस पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं करते हुए यथाप्रस्ताव बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में मौजा जालिया प्रथम पटवार हल्का जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित खसरा संख्या 1020 रकबा 01–06–10, 1074/4 रकबा 01–04–15, 1082/2 रकबा 01–17–05, 1083/2 रकबा 01–02–10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को फिरोज अफरोज पि. सत्तार खां हसीना जरीना पुत्रियां सत्तार खां बिस्मिल्ला पत्नि सत्तार खां रोशनी पत्नि निरासखां साजिदखां सदाम खां शाहिद खां नाबा पि. निसार खां बसरबराही माता रोशनी खुद कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1017/2 रकबा 01–06–15, 1074/2 रकबा 01–12–10, 1086/1 रकबा 00–18–10, 1087/1 रकबा 01–13–05 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को मौ. सदीक खां पुत्र जमाल खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 425 रकबा 01–16–00, 1074/3 रकबा 01–03–05, 1086/2 रकबा 00–18–10, 1087/2 रकबा 01–13–05 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को छोटू खां पुत्र जमाल खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1017/1 रकबा 01–06–15, 1074/1 रकबा 01–04–10, 1082/1 रकबा 01–17–05, 1083/1 रकबा 01–02–10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को जन्नत धर्मपत्नि स्व. गफार खां फरीदा मेरुना पुत्रियां गफार खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदारान के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 ने जो विवादित भूमि में अवेध रूप से बिना निर्माण स्वीकृति लिये निर्माण कार्य कर लिया है, उसे अपने खर्चे से हटाने के आदेश दिये जाते है, तथा प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते है, उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य उक्त भूमियो में पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में तरमीम की जावे तथा उक्त हिस्सोनुसार कब्जा कायम किया जावे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 द्वारा अवेध निर्माण को नहीं हटाते है तो जरिये पुलिस इमदाद से हटवाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में मज़में आम में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयुष समारिया आई. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –जालिया प्रथम
<u>राजस्व वाद संख्या 80/2013</u>

1– मौहम्मद सदीक खां पुत्र श्री जमाल खां जाति मुसलमान पठान
2– श्रीमति जन्नत पत्नि गफ्फार खां
3– फरीदा पुत्री श्री गफ्फार खां
4– मेरूना पुत्री श्री गफ्फार खो
जाति मुसलमान पठान निवासीयान जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0
—————वादीगण

<u>ब ना म</u>

1– श्री फिरोज खां पुत्र श्री सत्तार खां
2– श्री अफरोज खां पुत्र सत्तार खां
जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर
3– श्रीमति हसीना पत्नि श्री आलम खां पुत्री श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी बलाड तहसील ब्यावर
4– श्रीमति जरीना पत्नि श्री ईस्माईल खां पुत्री श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी ग्राम सालाकोट तहसील ब्यावर
5– श्रीमति बिसमिल्लाह पत्नि श्री सत्तार खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर
6– मा0 साजिद खां पुत्र श्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
7– मा0 सद्दाम खां पुत्रश्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
8– मा0 भााहिद ख़ां पुत्र श्री निसार खां नाबालिग जरिये कुदरती वली सरंक्षक माता श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां
9– श्रीमति रोशनी पत्नि श्री निसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम हाल निवासी गहलोत सिपाहियो का बडा वास जैतारण जिला–पाली———मृतक———
10– श्री छोटू खां पुत्र श्री जमाल खां जाति मुसलमान पठान निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला–अजमेर
11– श्रीमान् तहसीलदार साहब जरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर जिला–अजमेर
12– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, तहसील परिसर, ब्यावर
———प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

अधिवक्ता वादीगण – श्री नज़ीर मौहम्मद
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 – श्री अशोक उपाध्याय
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.11 व 12 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 80/2013
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **03.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में पेश हुआ। वादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को पीयुष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जालिया प्रथम पटवार हल्का

....................लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018"

जालिया प्रथम तहसील ब्यावर में स्थित खसरा संख्या 1020 रकबा 01–06–10, 1074/4 रकबा 01–04–15, 1082/2 रकबा 01–17–05, 1083/2 रकबा 01–02–10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को फिरोज अफरोज पि. सत्तार खां इसीना जरीना पुत्रियां सत्तार खां बिस्मिल्ला पत्नि सत्तार खां रोशनी पत्नि निरासखां साजिदखां सदाम खां शाहिद खां नाबा पि. निसार खां बसरबराही माता रोशनी खुद कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1017/2 रकबा 01–06–15, 1074/2 रकबा 01–12–10, 1086/1 रकबा 00–18–10, 1087/1 रकबा 01–13–05 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को मौ. सदीक खां पुत्र जमाल खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 425 रकबा 01–16–00, 1074/3 रकबा 01–03–05, 1086/2 रकबा 00–18–10, 1087/2 रकबा 01–13–05 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को छोटू खां पुत्र जमाल खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 1017/1 रकबा 01–06–15, 1074/1 रकबा 01–04–10, 1082/1 रकबा 01–17–05, 1083/1 रकबा 01–02–10 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 05–11–00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया है, को जन्नत धर्मपत्नि स्व. गफार खां फरीदा मेरूना पुत्रियां गफार खां कौम मुसलमान सा. देह खातेदारान के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 ने जो विवादित भूमि में अवेध रूप से बिना निर्माण स्वीकृति लिये निर्माण कार्य कर लिया है, उसे अपने खर्चे से हटाने के आदेश दिये जाते है, तथा प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिये जाते है, उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य उक्त भूमियो में पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में तरमीम की जावे तथा उक्त हिस्सोनुसार कब्जा कायम किया जावे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 द्वारा अवेध निर्माण को नहीं हटाते है तो जरिये पुलिस इमदाद से हटवाया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आज तारीख 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर